कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2018/भाग(9)/1416 दिनांक :: 30 जून, 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 29 जून, 2020 को प्रातः 11.00 बजे श्री प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत प्राधिकरण बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित बैठक दिनांक 29.06.2020 में आय – व्ययक अनुमान वर्ष 2020–21 एवं वास्तविक आय व्ययक वर्ष 2019–20 पारित करवाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने बाबत।

क. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित बैठक दिनांक 29.06.2020 में आय – व्ययक अनुमान वर्ष 2020–21 एंव वास्तविक आय–व्ययक वर्ष 2019–20 पारित करवाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने बाबत् ।	जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एंव संवितरणों के अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2019–20 के वास्तविक आय व्यय के अनुमोदन कि अनुशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित बैठक दिनांक 29.05.2020 में प्रस्तुत करने के लिए एजेण्डा आईटम निम्नानुसार है :–

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59(1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एंव संवितरणों के अनुमान

वित्तीय वर्ष 2020—21 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2019—20 के वास्तविक आय व्यय के अंक जिनका विस्तृत विवरण संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत है, एतद् द्वारा आयुक्त महोदय के अवलोकन एंव तत्पश्चात उनके द्वारा सुझाये गये उपान्तरणों के समावेश पश्चात इसको प्राधिकरण के समक्ष रखने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत है। प्राप्तियों एंव संवितरणों का संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :— (रू लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	आय व्ययक के अनुमान 2019—20	वास्तविक अंक 2019—20	आय व्ययक अनुमान 2020—21
1	कुल प्राप्तियॉ	42570.00	17401.44	80000.00
2	कुल संवितरण	42570.00	16554.32	80000.00

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत बजट प्रस्तावों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया तथा अध्यक्ष महोदय के सुझाव अनुसार भविष्य में राज्य सरकार के बजट मैनुअल में दी गयी प्रकिया अनुसार बजट अनुमान की भांति संशोधित अनुमान माह दिसम्बर तक एवं माह जनवरी से मार्च का अनुमानित व्यय का प्रावधान किया जावे तथा आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान स्वीकृत करवाये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि एक से अधिक वित्तीय वर्षो में पूर्ण होने वाले निर्माण कार्यो के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने योग्य राशि का बजट में प्रावधान रखा जावे। इसी अनुसार software में संशोधन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: विभिन्न विकास कार्यो में निविदा स्वीकृति की अवधि 50 दिवस से अधिक होने की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा माह मार्च, 2020 में विभिन्न विकास कार्यो की निविदाऐं दिनांक 12.03.2020, 13.03.2020 व 17.03.2020 को खोली गई। निविदाओं स्वीकृति से पूर्व कॉविड—19 महामारी के कारण लॉकडाउन होने से कार्यालय लम्बे समय से खुल नहीं पाये इस कारण निविदाओं पर निर्णय 50 दिवस अवधि में नहीं हो सके। 50 दिवस तक निविदा की स्वीकृति की सक्षमता एस.ओ.पी. के अनुसार कार्यकारी समिति में निहित हैं एवं 50 दिवस से अधिक समय हेतु सक्षमता Next Higher Authority में निहित हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 26.06.2020 में प्रस्तुत हुए जिनमें इन प्रकरणों को कार्यकारी समिति की निविदा स्वीकृति की अनुशंषा / पुष्टि के साथ प्रकरण आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

कार्यकारी समिति की अनुशंषानुसार निविदाओं की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्तुत है :—

क्र सं	कार्य का नाम	E.C. एजेण्डा संख्या	निविदा खोलने की दिनांक	प्रस्तावित / अनुमोदन
1	2	3	4	5

1.	जोन पश्चिम में लगी रोड़ लाईटो का रख–रखाव कार्य (दो वर्ष) JDA/FTS /97420	3	17.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
2.	जोन दक्षिण में लगी रोड़ लाईटो का रख–रखाव कार्य (दो वर्ष)JDA/FTS /97421	4	17.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
3.	पाल रोड़ स्थित गंगाणा फाटा में गंगाणा गांव तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक विद्युत पोलो व लाईन को शिफ्ट/भूमिगत करने का कार्य।JDA/FTS /98405	6	17.03. 2020	50 दिवस पश्चात प्रत्याशा दिये गये कार्यादेश की पुष्टि
4.	मारवाड नगर मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डामरीकरण का कार्य।JDA/FTS /98955	7	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
5.	जवाहर नगर, शाति नगर, पूजा कॉलोनी,कुबेर नगर चौपासनी स्कूल के पास सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डामरीकरण का कार्य। JDA/FTS /98143	8	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
6.	विजय नगर,श्री रामनगर व अन्य नगरो मे सीवर से क्षतिग्रस्त सडक निर्माण कार्य।JDA/FTS /98783	9	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
7.	मानसरोवर स्कीम मे सडक निर्माण कार्य।JDA/FTS /98083	10	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
8.	साई बाबा मन्दिर के पीछे रूपनगर द्वितीय की गली न 3,4,5 मे डामर सडक का निर्माण कार्य। JDA/FTS /98954	11	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
9.	उतम विहार,नेहरू नगर से मेडतीया गार्डन पाल रोड तक सडक निर्माण कार्य।JDA/FTS /98789	12	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
10.	झालामण्ड स्थित बनवाडियो की ढाणी, खेतानगर, आदर्श नगर 1, नारायण माता राणी भटियाणी ख. न. 72, मीरा विहार ख न. 40 मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको का निर्माण कार्य।JDA/FTS /95201	13	19.03. 2020	50 दिवस पश्चात दिये गये कार्यादेश की पुष्टि
11.	जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे विभिन्न स्थानो पर स्टोन पेवमेन्ट का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)JDA/FTS /98768	27	12.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ
12.	शिकारगढ स्थित आशापूर्णा नेनोमेक्स की एप्रोच सडक का निर्माण कार्य।JDA/FTS /93351	30	13.03. 2020	50 दिवस पश्चात निविदा स्वीकृति अनुमोदनार्थ

अतः उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित तालिका में अंकित समस्त कार्य यथा कम 1 से 12 में वर्णित कार्य की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विषयक अस्थाई अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करन के संबंध में।

क.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विषयक अस्थाई अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्रकरण समयावधि में वृद्धि तथा दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित है।

प्राधिकरण में सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 02.06.2020 को कम्पनी द्वारा ग्राम डांगियावास से जाजीवाल तक रिंग रोड के निर्माण के लिए राजस्व ग्राम झालामण्ड की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 195, 196 व 196/1 कुल रकबा 48.01 बीघा में आवश्यक सांमग्री, मशीनरी की स्थापना, अस्थाई कर्मचारी आवास तथा पेट्रोलियम क्लास–बी पम्प (स्वयं के उपयोग हेतु) की स्थापना के लिए खातेदारों से अस्थाई रूप से किरायानामा के आधार पर ली गई कृषि भूमि पर पूर्व में जारी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के कम में आगामी एक वर्ष हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.06.2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया एवं दिनांक 12.07.2019 को आगामी एक वर्ष अर्थात दिनांक 05.06.2020 तक के लिए अस्थाई अनुमति बढाई गई।

अनापत्ति/ अस्थाई अनुमति के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.09.2016 के प्रस्ताव संख्या 07 में निर्णय लिया गया था कि कोई भी संस्था/राजकीय विभाग में कार्य कर रही संस्था/व्यक्तियों द्वारा अपना कोई प्लांट आदि किसी निजी खातेदारी भूमि पर अस्थाई रूप से लगाता है तो सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण प्रयोजनार्थ 01 बीघा भूमि न्यूनतम 20,000/– रू प्रतिवर्ष तथा उसके पश्चात प्रत्येक बीघा के लिए 20,000/–रू प्रतिवर्ष की दर से अस्थाई अनुमति जारी करने का निर्णय लिया गया था। अस्थाई अनुमति की अवधि अधिकतम दो वर्ष होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 63 के अनुसार कतिपय अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण फीस वसूल कर सकेगा। प्रकरण में सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड को पूर्व में दो बार एक–एक वर्ष के लिए राशि वसूल करते हुए अधिकतम दो वर्ष हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकरण के निर्णयानुसार अधिकतम दो वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। जनहित एवं सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्य रिंग रोड़ का कार्य पूर्ण होने में समय लगने की संभावना के मध्यनजर कम्पनी को आगामी एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रतिबीघा वार्षिक शुल्क की दरों में न्यूनतम 15–25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करते हुए अन्य समान प्रकृति के प्रकरणों में अस्थाई अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तथा इस प्रकार के प्रकरणों में आवश्यक अन्य विभागों से अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा अपने स्तर पर प्राप्त करने की शर्त पर अधिकतम

समयावधि दो वर्ष में वृद्धि करते हुए युक्तियुक्त समयावधि निर्धारित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रत्येक वर्ष लगभग 10 प्रतिशत किराया राशि बढ़ाते हुए 25,000/– रूपये प्रति वर्ष प्रति बीघा की दर से एक वर्ष हेतु अस्थाई अनुमति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/1, 726, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/9, 788 रकबा 110.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण हेतु निर्णय बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री कोजाराम भादरू पुत्र श्री रतनाराम, श्री हेमेन्द्र बारूपाल पुत्र श्री सुखराम द्वारा राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/1, 726, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/9, 788 रकबा 110.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में निवेदन है कि प्रश्नगत प्रकरण को बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 06.03.2020 में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किया गया था। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 03 में "प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आपति सुझाव अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपति संख्या 278 दिनांक 28.10.2013 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दर्ज आपति को विड्रॉ किये जाने का निवेदन किया गया है, साथ ही पूर्व में श्रीमती जसोदा डाबी द्वारा दर्ज आपत्ति हेतु भी शपथ–पत्र प्रस्तुत कर आपति को विड्रॉ किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों को विड्रॉ किये जाने के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवा लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक द्वारा लिया गया निर्णय प्रार्थी को स्वीकार्य होगा, बाबत प्रार्थी से शपथपत्र भी प्राप्त करनें हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया। " का उल्लेख है।

उक्त निर्णय के क्रम मे प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः मास्टर प्लान में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.06.2020 में एजेण्डा संख्या 35 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि "प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) के समय दर्ज आपत्ति को विड्रो किया जा चुका है तथा प्रार्थी द्वारा इस संबंध में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः पूर्व में दर्ज आपत्ति को विड्रो किये जाने तथा आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में प्रेषित आपत्ति–सुझाव रिपोर्ट में "कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है" बाबत् की गयी टिप्पणी को सही मानते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावें।"

उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन 1, रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण हेतु निर्णय बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम वगैरह द्वारा राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन1 रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में निवेदन है कि प्रश्नगत प्रकरण को बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 31.01.2020 में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किया गया था।उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 02 में ''*प्रश्नगत प्रकरण में 3 आवेदकों में से श्री भंवरलाल द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 417 में स्थित भूमि का भू–उपयोग आवासीय व वाणिज्यिक किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा आयोजना शाखा द्वारा तैयार की गयी आपत्ति सुझाव रिपोर्ट में चाहा गया उपयोग नॉलेज सिटी में अनुज्ञेय होने के कारण ''कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है''* बाबत् टिप्पणी की गयी है। अतः समिति द्वारा आयोजना शाखा द्वारा आपत्ति सुझाव रिपोर्ट में की गयी टिप्पणी को उचित मानते हुए तथा प्रार्थीयों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में की गयी आपत्ति को विड्रॉ करने के क्रम में आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवा लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक द्वारा लिया गया निर्णय प्रार्थी का स्वीकार्य होगा बाबत प्रार्थी से शपथपत्र भी प्राप्त करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया'' का उल्लेख है।

उक्त निर्णय के क्रम में प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः मास्टर प्लान में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कार्यकारी समिति में दिनांक 26.02.2020 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.06.2020 में एजेण्डा संख्या 34 पर निर्णय लिया गया कि ''प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) के समय दर्ज आपत्ति को विड्रो किया जा चुका है तथा प्रार्थी द्वारा इस संबंध में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः पूर्व में दर्ज आपत्ति को विड्रो किये जाने तथा आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में प्रेषित आपत्ति–सुझाव रिपोर्ट में ''कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है'' बाबत् की गयी टिप्पणी को सही मानते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावें।''

उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपायुक्त–दक्षिण ने पत्र कमांक एफ.48/वीवीवाई/डीसीएस/2020 दिनांक 26 जून, 2020 की छाया प्रति प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत कर उक्त पत्र में वर्णित प्रस्ताव को इस बैठक कार्यवाही में सम्मिलित कर निर्णित करने हेतु निवेदन किया। जिसको बैठक में निम्नानुसार एजेण्डे के रूप में रिकार्ड पर लिया जाकर उस पर बैठक में निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिया गयाः–

प्रस्ताव संख्या 7 :: भूखण्ड संख्या 98 सेक्टर एच नाप 199.50 वर्ग मी पूर्वी पाल रोड योजना के बदले विवेक विहार योजना व विजय राजे नगर योजना में शिफि्टंग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	भूखण्ड संख्या 98 सेक्टर एच नाप 199.50 वर्ग.मी पूर्वी पाल योजना के बदले विवेक विहार योजना व विजय राजे नगर योजना में स्पिटिंग करने के संबध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में भूखण्ड संख्या 98 सेक्टर एच नाप 199.50 वर्ग.मी भूखण्ड के आगे सड़क का नाप 30 फिट का आवंटन लॉटरी दिनांक 09.08.1996 को श्री नरेन्द्र सिंह ढड्ढा पुत्र श्री गोरधन सिंह ढड्ढा को आवंटीत हुआ था आवंटी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर दिनांक 31.03.2000 को भूखण्ड का पट्टा प्राप्त किया आवंटी द्वारा दिनांक 04.02.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड अन्य योजना में आवंटन करवाने की मांग की गई है पूर्वी पाल योजना में भूखण्ड संख्या 98 सेक्टर एच मौके पर पूर्ण रूप से खाली है उक्त योजना में खातेदारों द्वारा न्यायालय में वाद दर्ज करवायें गये है परन्तु स्थगन आदेश पारित नहीं होने के कारण कार्यालय द्वारा दिनांक 22.05.2020 को आवंटी श्री नरेन्द्र कुमार ढड्ढा को पत्र जारी किया गया जिसमें यह लिखा गया की आप आवंटीत भूखण्ड पर निर्माण करवायें किसी भी तरह की विधिक बाधा या निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण सहायता करने में तत्पर है परन्तु दिनांक 03.06.2020 को श्रीमान् सयुक्त शासन सचिव द्वितीय का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उक्त पत्र में श्रीमान् द्वारा आवंटी श्री नरेन्द्र सिंह ढड्ढा को भूखण्ड संख्या 98 सेक्टर एच नाप 199.50 वर्ग.मी के स्थान पर प्राधिकरण की विजयराजे नगर अथवा विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्देश दिया गया है जबकी इस तरह के प्रकरणों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.08.2019 को श्रीमान् अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रस्ताव संख्या 12 में निर्णय लिया गया कि आवंटीत भूखण्ड/भूमी में कब्जा नहीं दिये जाने पर वैकल्पिक भूखण्ड प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर चौखा , अरना विहार , झरना विहार व आन्नद विहार में भूखण्ड स्पिटिंग करने का निर्णय लिया गया है उक्त प्रकरण में श्रीमान सयुक्त शासन सचिव द्वारा निर्देशित कर विवेक विहार योजना व विजयराजे नगर योजना में आवंटन करने का निर्देश दिया है पत्रावली प्राधिकरण कि बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक प.1 (11) नविवि/ जोधपुर/ 2020 दिनांक 3 जून, 2020 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में इस प्रकरण विशेष में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2019 में लिये गए निर्णय में शिथिलता प्रदान करते हुए पूर्वी पाल योजना में श्री नरेन्द्र सिंह ढड्ढा पुत्र श्री गोरधन सिंह ढड्ढा को आवंटित भूखण्ड संख्या 98 सेक्टर एच नाप 199.50 वर्ग.मी भूखण्ड के बदले में प्राधिकरण की विजयराजे नगर/विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2019 में लिया गया निर्णय इस प्रकरण विशेष को छोड़कर यथावत् रहेगा एवं भविष्य में इस प्रकरण में लिये गए निर्णय को दृष्टान्त के रूप में उपयोग करते हुए अन्य किसी भी प्रकरण में भूखण्ड विजयराजे नगर/विवेक विहार योजना में आवंटित नहीं किये जावेंगे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2018/भाग- 9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 211/एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

30/6/20

(हरभान मीणा)
सचिव

कमांक/बैठक/2018/भाग(8)/1417 दिनांक :: 30 जून, 2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर

05. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. ....

30/6/20

(हरभान मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ.) प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 29 जून, 2020 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री अयूब खां, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3. श्री जी.आर. सीरवी, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री जे.सी. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
6. श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
7. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री एल.आर. विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर